

Form No. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी मुकाम..... रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

गोकुल बनाम मन्दीकरी
 किल्ल मुकदमा नं. 88-89-198 प्र. अ. अ. नं. 16 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.4.17	<p>पत्रावली जारी विज्ञान अधिवक्ता पेश रिपोर्ट खरीदा देवी गरी दत्ता कर्म रजि. ही प्रतिवादीगठ की लकी हेल् लम्पन प्राप्ति रोक रि. 1017/17 को पेश ही।</p> <p>राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017" काम स्थल... गोकुल दिनांक... 23.6.17</p> <p>पत्रावली पेश पसकार उपर ही पसकारों को सुना गया उपर पसकारों में लकी का रुयन है, कि प्रतिवादीगठ वादगठ सहवालेदारी की भूमि के लकीप की भूमि को किराये पर लेकत खेती काले हैं, ओर हमारी सहवालेदारी के रुयन से उफल सत्रीप की भूमि पर खिंचाई काले हैं। इन्हें, रोक जाये। इसके विपरीत ज्वि. का रुयन है, कि रुय अर्थात वादी की यदि अन्य अर्थात 510 मे. क. म. ग. अर्थात सहवालेदारी के अर्थात अन्य भूमि अर्थात नि. म. म. पर खिंचाई हेल् पानी नही लीगा की रुय ऐतरात नही ही इस पर वादी द्वारा उफल प्रस्ताव लीका किमा गया पसकारों के लकीप लकीप हमारा काले लकीप लकीप पसकारों की पहचान काले।</p>	<p>गोकुल मन्दीकरी हेमं रजि. पहचान काले अर्थात</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> गरी पसकाव सहकारी के कुर्से से सहकारी- गरी के भूमि के अलावा अन्य भूमि पर विचार कार्य नहीं किया। इस बात पर सहमत है। अतः सहकारी की एक एक वादवाही खीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि उक्त पस गाँव गोमदा की भूमि खण्ड नं० 1150 (चाह) से केवल खण्ड नं० 1151 एकटा 2.26 हेक्टर भूमि को ही विचार किया। अन्य सहकारी के अलावा भूमि को नहीं। तदनुसार उचित मुलिया है। पत्रावली की निर्णय में गठाना की जाकर उचित लेख भेजा है। निर्णय भाग दि० 23/6/17 को लोक अदालत में सुनाया गया। </p> <p style="text-align: center;">  (चिन्मयी शर्मा) जज </p>	